

फर्द अहकाम

अली बनाम अरुणलाल

नाम न्यायालय सहाय नगर शाक 57

केस संख्या 58/21 57

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	न्यायालय क्र. संख्या
	8/21	<p>बकाल उभयपक्ष उपस्थित / शोधमात्रक सं. द्वारा आज्ञा क्र. 1/21 दिनांक 8/21/21</p> <p>अरुणलाल के पक्ष में। पक्षवाली पक्षों की पक्ष पक्षों की आज्ञा के दिनांक 22-9-21</p> <p>जांच की है।</p>	
	28/21	<p>बकाल उभयपक्ष उपस्थित / शोधमात्रक सं. द्वारा आज्ञा क्र. 2/21 दिनांक 28/21/21</p> <p>अरुणलाल के पक्ष में। पक्षवाली पक्षों की पक्ष पक्षों की आज्ञा के दिनांक 28/21/21</p> <p>जांच की है।</p>	
	21/04	<p>पक्षवाली माफ उच्चापन गोवा के सेन के माफ उच्चापन के पक्ष में। उच्चापन में कोई स्वयं उपनिष्ठा साक्षात् उच्चापन को (कारिफ पक्षों के विवेक विना) कर उच्चापन पक्षों द्वारा पक्षों में पक्षों के पक्षों से (कारिफ विवेक जाग ही पक्षवाली के लक्ष उच्चापन पक्षों के लक्ष ही।</p> <p>सहायक नक्कर साहपुरा (जि. साहपुर) राज.</p>	

मूल पक्षमीणा
मेरा दावा कारिफ
किया जावे।
मूल पक्षमीणा